उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०,
पंतनगर, पो०– हल्दी, जनपद– ऊधम सिंह नगर।

सेवाकाल में मृत निगम सेवकों के आश्रितों की
भर्ती नियमावली 2000 (संशोधित) 2015

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, पंतनगर, पो०– हल्दी, जनपद– ऊधम सिंह नगर।

सेवाकाल में मृत निगम सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2000 (संशोधित) 2015

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(i) यह नियमावली उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 के सेवाकाल में मृत निगम सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2000 (संशोधित) 2015 कहलायेगी।

(ii) यह दिनांक ..... 2015 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

2. परिभाषायें :

जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) ''निगम सेवक का तात्पर्य'' उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे निगम सेवक से है जो :–

(2.1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था; या

(2.2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था; या

(2.3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे निगम सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण : ''नियमित रूप से नियुक्ति'' का तात्पर्य यथास्थित, पद या सेवा में भर्ती के लिये अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) ''मृत निगम सेवक'' का तात्पर्य ऐसे निगम सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुये हो जाये। अथवा जिसके सात साल तक लापता होने के आधार पर मृत्यु कल्पित की जाय। लापता होने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी हो;

परन्तु मृत्यु कल्पित निगम सेवक के आश्रित को ऐसी नियुक्ति के समय यह शपथ पत्र देना होगा कि कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति 07 साल बाद भी दयनीय है, कुटुम्ब का कोई भी सदस्य लोक सेवक नहीं है और मृत्यु कल्पित निगम सेवक के वापस आने पर आश्रित की सेवा समाप्त कर दी जायेगी और उसे भुगतान किये गये समस्त वेतन की वसूली उससे की जायेगी।

(ग) 'कुटुम्ब' के अर्न्तगत मृत निगम सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :–

1. पत्नी या पति,
2. पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां
4. मृत निगम सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत निगम सेवक अविवाहित था।

(घ) ''कार्यालय का प्रधान'' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत निगम सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवारत था।

3. नियमावली का लागू किया जाना :

यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं में और पदों पर मृत निगम सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4. इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव : इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती : (5–1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी निगम सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये निगम सेवा में ऐसे पद को छोड़कर किसी पद पर उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो यदि ऐसा व्यक्ति :–

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताए पूरी करता हो।

(दो) निगम सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो और

(तीन) निगम सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है।

परन्तु जहां निगम का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(5–2) ऐसा सेवायोजन, यथासंभव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत निगम सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

6. सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषय वस्तु : इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलाषित है उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहॉ मृत निगम सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन–पत्र में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :–

(क) मृत निगम सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहॉ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व सेवा कर रहा था।

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु, तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे।

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा; और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताए, यदि कोई हों।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों : यदि मृत निगम सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को निश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जायेगा।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता : (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठ्ठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को

बनाये रखेगा। इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्यक पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिये सृजित किया गया समझा जायेगा और वह तब तक चलेगा, जब तक कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो जाये।

9. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान : किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि :–

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह निगम सेवा सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेगें।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हैं और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरूष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।,

10. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :– निगम का निदेशक मण्डल इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एक मात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

11. सेवाकाल के दौरान निगम सेवक की मृत्यु पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी में नियुक्ति देने की व्यवस्था उक्त नियमावली में दी गयी है। इस नियमावली के प्राविधानों के अर्न्तगत निगम सेवा में मृतक निगम सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को निगम सेवा में नियुक्ति देने का प्राविधान परिवार को अचानक आयी विषम परिस्थिति में आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। इसके द्वारा निगम सेवक के आश्रित परिवार को अचानक उत्पन्न आजीविका के संकट से उबारने के लिये आजीविका के साधन स्वरूप परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति दी जाती है। नियामवली के अन्तर्गत मृतक निगम सेवक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निगम सेवा में नियुक्ति दिया जाना अनुकम्पा है। यह नियुक्ति प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार की वास्तविक स्थिति ऐसी है कि यदि नियुक्ति नहीं प्रदान करी जायेगी तो परिवार का गुजारा करना सम्भव नहीं होगा, यह नियुक्ति प्राप्त करना किसी का विहित अधिकार नहीं है। किन्तु देखने में यह आया है कि निगम सेवक की मृत्यु के लम्बे समय बाद भी उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदन किया जाता है जिनमें 20 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है अथवा यह कहा गया है कि निगम सेवक की मृत्यु के समय आवेदक पुत्र/पुत्री अवयस्क थी अब वयस्क होने पर आवेदन किया जा रहा है। विलम्ब से नियुक्ति हेतु आवेदन के प्रकरणों में आवेदन करने की अवधि के शिथिलीकरण हेतु अनुरोध किया जाता है। इसमें मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा उमेश नागपाल एवं हरियाणा राज्य व (1994) 4SCC138 में स्पष्ट किया है कि लोक सेवा नियुक्ति का सामान्य नियम सार्वजनिक निमन्त्रण और प्रवीणता का चाहियें, अपवाद रूप में मृतक निगम सेवक के परिवार के सदस्य अचानक आयी विपदा से उबरने के लिये नियुक्ति दी जा सकती है। निगम सेवक की मृत्यु के लम्बे समय बाद उक्त नियमावली के अनुसार नियुक्ति दिया जाना चयन के नियमों के बाहर नियुक्ति प्रदान करना उचित नहीं है। मा0 उच्चतम्

न्यायालय श्री उमेश नागपाल बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में जो व्यवस्था उसके दृष्टिगत ही प्रस्ताव विचार के लिये निदेशक मण्डल बैठक में सन्दर्भित किये जाये। मामले में परिवार को गुजारा करने मे कठिनाई नहीं है अथवा आवेदन में अधिक विलम्ब हुआ है उन मामलों में आवेदन की अवधि शिथिलीकरण के लिये सन्दर्भित नहीं किये जायेगे।

12. कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या 1162/का0–2/2002 दिनांक 23 अगस्त, 2002 में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत :–

(1) मृत निगम सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि मृत निगम सेवक के परिवार की निगम सेवक की मृत्यु पर आर्थिक स्थिति ऐसी हो गयी हो कि परिवार का गुजारा परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति दिये बिना नहीं हो सकेगा।

(2) मृत निगम सेवक के परिवार के सदस्यों का नियुक्ति पाना विहित अधिकार नहीं है, जिसको भविष्य में भी उपयोग किया जा सके। यह अचानक आयी विपदा से परिवार को उबरने के लिये तथा गुजारे का साधन उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से निगम की ओर से अनुकम्पा है जिसे यथाशक्य अविलम्ब मृतक निगम सेवक के परिवार को प्रदान किया जाना चाहिये। नियमावली में निर्धारित अवधि के बाद नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित स्थिति नहीं है।

2. मृत निगम सेवक के लिये कुटुम्ब के सदस्य द्वारा नियुक्ति प्रदान करने के लिये 5 साल की अवधि के बाद दिये गये आवेदन पत्रों में नियमावली के नियम 5(1) (तीन) के परन्तुक "परन्तु जहां निदेशक मण्डल का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये निर्धारित समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभ्युक्तियां शिथिल कर सकता है" मे प्रदत्त शक्ति का उपयोग किये जाने हेतु निवेदन किया जाता है। नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक में निदेशक मण्डल को प्रदत्त की गई शक्तियां असीम नहीं है, इन शक्तियों का उपयोग करके नियम 5 (1) (तीन) में निर्धारित 5 वर्ष के भीतर की अवधि का विस्तार यथा आवश्यकता नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह शक्तियां किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई के न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से निराकरण करने की शक्तियां है। जिनके द्वारा निगम सेवक की मृत्यु के दिन से 5 वर्ष के भीतर आवेदन करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुये मामले में उत्पन्न अनुचित कठिनाईयों का निराकरण किया जाना है। नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) में निर्धारित आवेदन करने की 5 वर्ष की अवधि का विस्तार इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निगम सेवक की मृत्यु के समय उसके पुत्र/पुत्री अवयस्क थी और वयस्क होने के बाद उनके द्वारा 5 वर्ष की अवधि के बाद आवेदन किया जा रहा है। मृत निगम सेवक के पुत्र/पुत्री आवेदन करने के 5 वर्ष की अवधि के बाद एक या दो सप्ताह में अपनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर रहे है/रही है, अथवा लम्बी बीमारी के कारण निर्धारित आवेदन करने की 5 वर्ष की अवधि में कुछ सप्ताहों का विलम्ब हो गया और आवेदन नहीं किया जा सका तथा उपरोक्त कारणों के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मृतक निगम सेवक के परिवार का गुजारा हो पा रहा हो तथा उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य सेवायोजित न हो या व्यवसाय न कर रहा हो। ऐसे मामले में निदेशक मण्डल कठिनाईयों के निराकरण की प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके आवेदन की अवधि को

शिथिल कर सकता है। आवेदन करने में लम्बी बीमारी या अन्य किसी दुर्घटना के कारण हुआ सूक्ष्म विलम्ब जिसमें परिवार के सदस्य के नियन्त्रण में परिस्थितियां नहीं रही ऐसे मामलों को विचार के लिये लिया जा सकता है। नियम के इस प्रावधान को पुनः दोहराया जाना है कि परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का उपयोग सामान्य रूप में, आवेदन की निर्धारित अवधि "5 वर्ष के भीतर को" लम्बे समय का विस्तार देने के लिये नहीं किया जा सकता है।

3. निगम में प्राप्त हो रहे सन्दर्भों में उपरोक्तानुसार यह परीक्षण कर लिया जाना चाहियें कि मृत निगम सेवा के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा निगम सेवक की मृत्यु के 5 वर्ष के भीतर आवेदन किया गया है। विलम्ब इतना सूक्ष्म एवं अपवादिक है तथा अवधि शिथिलीकरण के लिये पर्याप्त एवं समुचित औचित्य उपलब्ध है जिसें नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों में शिथिल किया जा सकता है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार उन्ही मामलों को शिथिलीकरण के लिये सन्दर्भित किया जाये जो उपरोक्त नियम के परन्तुक से प्राविधानित है तथा नियम 6 के अन्तर्गत आवेदन पत्र में प्राविधानी सूचनायें साथ में उपलब्ध करायी जाय।

13. मृतक आश्रित के रूप में अधिसंख्यक पद के सापेक्ष नियुक्त कर्मचारी को उनकी नियुक्ति की तिथि से ही मौलिक रूप से नियुक्त समझा जायेगा तथा उसी तिथि से वे सम्बन्धित संवर्ग में नियुक्त कार्मिक से नीचे वरिष्ठता मे रखे जायेगे एवं तदनुसार ही उन्हें उच्चतर पदो पर पदोन्नति हेतु पात्र होने की दशा में पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।

14. वित्त विभाग उत्तराखण्ड के द्वारा जारी शासनादेश संख्या 877/XXVII(7)च0श्र0/2011 दिनांक 24.03.2011 के माध्यम से घोषित समूह 'घ' के पदों को निगम के समूह 'घ' के पद पर किसी मृतक आश्रित के समूह 'घ' के लिये पात्र होने पर नियुक्ति हेतु मृत संवर्ग नहीं माना जायेगा। बल्कि समूह 'घ' के लिये पात्र होने की दशा में मृतक आश्रित को समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी और इस सीमा तक समूह 'घ' का संवर्ग पुर्नजीवित माना जायेगा।

15. मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति विषयक नियमावली में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन स्तर से जो भी संशोधन अथवा प्राविधान इत्यादि जारी किये जायेगे उन्हें निगम के निदेशक मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त निगम में अंगीकृत किये जाने तथा नियमावली में तदनुसार संशोधन किया जायेगा।

————————————————————